



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक:एफ()जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी - 1422

दिनांक 25/5/22


विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दरतावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पजीयनक क्रमांक	आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	रजिस्टर्ड आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
103216 103218	ग्राम बगरुखुर्द में अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 743, 742, 780 का आरक्षण पत्र क्रमांक 144 दिनांक 4.10.2010 के द्वारा श्री धारसी पुत्र श्री गुल्ला को जारी किया गया था।	ग्राम भग्गोरिया/बगरुखुर्द (राजदरबार) के आवासीय भूखण्ड संख्या 168-सी क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर ग्राम भग्गोरिया/बगरुखुर्द (राजदरबार) के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस-47-सी क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर	प्रकाश मल जैन एचयूएफ कर्ता श्री धर्मेश जैन पुत्र श्री प्रकाश मल जैन	मूल आरक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण।


उपायुक्त जोन-11
जयपुर, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


उपायुक्त जोन-11
जयपुर, जयपुर

PROP R-477
26/5/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

दिनांक...26/5/2022

संख्या.....1577...

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतददारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण कांट आदर्श गृ.नि.स. की योजना कृपालु नगर के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।


उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
नांगल जैसा बोहरा तहसील जयपुर।	92	0.7461 हैक्ट.	जुगलकिशोर पुत्र भौरीलाल हि. 1/6, राम कृपाल पुत्र भौरीलाल हि. 1/6 लक्ष्मी पत्नी भौरीलाल हि. 1/6, रात्यनारायण पुत्र भौरीलाल हि. 1/6 सीताराम पुत्र भौरीलाल हि. 1/6, हनुमान पुत्र भौरीलाल हि. 1/6, जाति ब्रहामण सा.देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा मे आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक...26/5/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।


उपस्थित जोन-6
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-06 जविप्रा, जयपुर।

1920/R. 478
26/5/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
 इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
 प्रारूप 13
 [नियम 13(2) देखिए]

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या..... 997

दिनांक..... 26/5/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण टैगोर नगर गु.नि.स.स. की योजना शिव विहार- डी के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	90'क' किये जाने योग्य रकबा	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
ग्राम लालरपुरा तहसील जयपुर	12	0.1265	5 बीघा 8 बिस्वा	घासी पुत्र छोडू, घासी पुत्र मौरिया, नन्दकिशोर, प्रभूनारायण, लल्लूराम, श्रवण कुमार, सूरजमल पुत्रान् मुरली, रामचरण पुत्र गंगासहाय, हनुमान सहाय, हरफूल पुत्रान ईसर
	13	0.0632		
	7	0.0253		
	15	0.2529		
	16	1.0497		
	14	0.1265		
	6	0.7841		
	8	0.3035		

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पीबी-एसएफ-218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।


नोटिस आज दिनांक 26/5/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

(६०)

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भोजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।


 प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
 जोन-07 जविप्रा, जयपुर
 जयपुर विकास प्राधिकरण
 जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....498.....

दिनांक.....26/5/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतददारा सूचित किया जाता है, कि आपकी राहमति/अराहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण बुनियादी गू.नि.स.स. की योजना भास्कर नगर विस्तार के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	90'क' किये जाने योग्य रकबा	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
ग्राम बड़ारामा तहसील जयपुर	40	29 बीघा 9 बिस्वा	4 बीघा	कजोड़, भगवान, कैलाश पि. चौधू, गोपाल पुत्र करना, घीस्या पुत्र नारायण, बोदू, रामकिशन पि. सुआ रामनिवास, लालचन्द पि. भूरा भरतसिंह गोपाल सिंह पि. रामनारायण नान्डी देवी पत्नी रामनारायण कालिया पुत्र श्योनाथ सोहन पुत्र रूडा, गोविन्दा पुत्र भुवाना

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.झा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा नं. पीबी-एसएफ-218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....26/5/2022.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

(50)
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जयपुर
जोन-07 जविप्रा, जयपुर
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....446

दिनांक.....26/5/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण भैरव गू.नि.स.स. की योजना भास्कर नगर के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	90'क' किये जाने योग्य रकबा	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
ग्राम बड़ारामा तहसील जयपुर	40	29 बीघा 9 बिस्वा	9 बीघा 6 बीस्वा	कजोड़, भगवान, कैलाश पि. चौधू गोपाल पुत्र करना, धीस्या पुत्र नारायण, बोदू रामकिशन पि. सुआ रामनिवास, लालचन्द पि. भूरा भरतसिंह गोपाल सिंह पि. रामनारायण नान्डी देवी पत्नी रामनारायण कालिया पुत्र श्योनाथ सोहन पुत्र रूडा, गोविन्दा पुत्र भुवाना

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पीबी-एसएफ-218डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....26/5/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

AROR-481
26/5/22

(६०)

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-5/2022/डी- 1459

दिनांक :- 26-5-22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन/नाम हस्तान्तरण/फी होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन/नाम हस्तान्तरण/फी होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	ऑन लाई आवेदन सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	105812	649	शांति नगर	श्रीमती ममता मादीवाल पुत्री श्री छीतर लाल मादीवाल	श्री हरिश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री चिरंजी लाल शर्मा	समिति की रसीद एवं इकरारनामा गुम होने के कारण
2.	-	600	शांति नगर	श्री शम्भू नाथ शर्मा पुत्र स्व. श्री निकु राम शर्मा	श्रीमती सरला शर्मा पत्नी श्री शम्भू नाथ शर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजि. हक त्याग त्याग पत्र
3.	-	514 (द. हि.)	शांति नगर	श्री घनश्याम लाल मेनारिया पुत्र श्री भगवान लाल मेनारिया	श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह	अपंजीकृत इकरारनामा
4.	102796	बी-27	रूप विहार	श्री राधा मोहन गोयल पुत्र श्री नवल किशोर गोयल	-	मूल पट्टा विलेख गुम होने बाबत
5.	102705	बी-28	रूप विहार	श्रीमती कमलेश गोयल पत्नी श्री राधा मोहन गोयल	-	मूल पट्टा विलेख गुम होने बाबत
6.	101990	ई-43	श्याम नगर विस्तार	श्री दिनेश ओझा पुत्र श्री कृष्ण ओझा	श्री किशन ओझा पुत्र स्व. श्री राम ओझा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपंजीकृत वसीयतनामा

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त एवं प्रमुख अधिकारी
उपायुक्त जोन-5
जयपुर विकास प्राधिकरण

27.5.22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250}; फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी- 899

दिनांक 11/5/2022

विज्ञप्ति

श्री अरविन्द कुमार जैन द्वारा श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गणेश विहार के भूखण्ड संख्या 220 के नियमन हेतु समिति के आवंटन पत्र, हिस्सा राशि प्रमाण-पत्र, साईट प्लान के आधार पर करने हेतु ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदित भूखण्ड का आवंटन समिति द्वारा आवेदक के पक्ष में जारी किया गया है। समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्यता सूची में आवेदित भूखण्ड/आवंटी का नाम अंकित नहीं है। अतः जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदित भूखण्ड का नियमन आवेदक के पक्ष में किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा नियमन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में निष्पादित कर दी जावेगी। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

उपायुक्त, जोन-2
जविप्रा, जयपुर

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर विज्ञप्ति की मूल प्रति जोन कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त, जोन-2
जविप्रा, जयपुर-2

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555

PROR-482
27.5.22

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-4162

दिनांक:- 26/5/22


लोक सूचना

रिलायबल बिल्ड हेक एलएलपी जरिये पार्टनर श्री आशीष गुप्ता पुत्र श्री बाल स्वरूप गुप्ता पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नम्बर-7-8-9-10, कैलाश कैंटीन के सामने, रोड नम्बर-7, वीकेआई एरिया, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का एग्री वेयरहाउस उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम-उदयपुरिया तहसील-आमेर (जयपुर)	RELIABLE BUILD TECH LLP	407	0.050
2			408	1.14
3			471/396	0.29
4			473/409	8.51
			किता-4	10.00

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26-5-2022 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

27/5/22
R-485

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-4164

दिनांक:- 26/5/22


लोक सूचना

नवरतन कॉलोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक श्री राहुल खण्डेलवाल, पंजीकृत कार्यालय ए-23, जनता कॉलोनी, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम-गीलाकीनागल तहसील-बस्सी (जयपुर)	नवरतन कॉलोनाईजर्स एण्ड प्राईवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत निदेशकगण राहुल खण्डेलवाल पुत्र अशोक खण्डेलवाल जाति महाजन सा. बी-146 जनता कॉलोनी जयपुर एवं निखलेश लोंगवानी पुत्र नरेन्द्र लोंगवानी हिस्सा पूर्ण जाति-सिन्धी निवासी-ए-40 सेटी कॉलोनी जयपुर कम्पनी पंजीकृत कार्यालय ए-23 जनता कॉलोनी जयपुर खातेदार	217	2.0864
1			226	2.0232 हेक्टेयर में से 1.9036 हेक्टेयर
2			किता-2	3.9900 हेक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26/5/22 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

PR01R-484
27/5/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी - 1435

दिनांक 26/5/22


सार्वजनिक सूचना

सार्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदक द्वारा इन्द्रा विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना अशोक विहार-ए रो ई के निम्न भूखण्डधारी द्वारा लीजडीड जारी किये जाने हेतु ऑनलाईन जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है जो निम्नानुसार है:-


क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. में
1	श्री आदित्य सैनी पुत्र श्री हनुमान राहाय सैनी	डी-53	133.33

उपरोक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र समिति द्वारा श्री शम्भूदयाल लखेरा पुत्र श्री रामेश्वरलाल लखेरा के नाम जारी किया गया है तथा प्रमाणित सदस्यता सूची में श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री नाथूलाल का नाम अंकित है। उपरोक्त भूखण्डधारी का नाम उप रजिस्ट्रार जविप्रा, जयपुर से प्रमाणित सूची में गिन्न है तथा किररी अन्य व्यक्तियों के नाम अंकित है। समिति द्वारा पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त व्यक्ति के नाम पट्टा जारी किये जाने हेतु लिखा गया है।

अतः समिति द्वारा जारी दरतावेजों के आधार पर योजना अशोक विहार-ए रो ई के उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी किये जाने के संबंध में किररी भी व्यक्ति/संस्था एवं अन्य किररी अन्य को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति/आक्षेप मय दरतावेज उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार उपरोक्त भूखण्डधारियों के हित में लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।


उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
उपायुक्त जोन-11,
जयपुर।
ज.वि.प्रा., जयपुर

- प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावे।
 - श्री आदित्य सैनी पुत्र श्री हनुमान राहाय सैनी निवासी-44, मालियों की ढाणी, गुहाना तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।


उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
ज.वि.प्रा., जयपुर

R-1435
27/5/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

जविप्रा की योजना के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं के भूखण्डों के नामहरतान्तरण/लीजडीड आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त हुए हैं।

यदि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई भी आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आवदकों के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नामहरतान्तरण/लीजडीड जारी कर दी जाएगी।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम
1.	श्री राजेश कुमार अग्रवाल	बी-293	मालवीय नगर
2.	श्री अशोक बैराठी	बी-256	मालवीय नगर

1
26/5/22
उपायुक्त, जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

पीआरओ
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-1/22/डी- 1553
दिनांक:- 26/5/22

PROR-487
27/5/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 302 004
फोन : 0141 2573150 (0) 0141 2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा.1/जोन-1/2022/डी- 1526

दिनांक:- 24/5/22

विज्ञप्ति

जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना, मालवीय नगर के भूखण्ड संख्या-बी-293 का आवंटन/पट्टा डॉ. शिव प्रकाश बोहरा के नाम जारी किया गया था। मूल आवंटी डॉ. शिव प्रकाश बोहरा ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.10.2007 से उक्त भूखण्ड का अविभाजित 1/2 आधा श्रीमती रामरखी देवी धर्मपत्नी श्री गेदी लाल अग्रवाल को बेचान कर दिया गया एवं विक्रय पत्र दिनांक 24.10.2007 से मूल आवंटी ने भूखण्ड का आधा हिस्सा श्रीमती रामरखी देवी धर्मपत्नी श्री गेदीलाल अग्रवाल को विक्रय किया गया। जविप्रा द्वारा रामरखी देवी के पक्ष दिनांक 10.12.2007 को किया गया। रामरखी देवी की मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित दिनांक 28.03.2021 को होना अंकित है। श्रीमती रामरखी देवी पत्नी श्री गेदीलाल द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड की रजिस्टर्ड वसीयत अपने पौत्र श्री राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रामगोपाल अग्रवाल के पक्ष में वसीयत की गई है। अब श्री राजेश कुमार अग्रवाल उक्त दस्तावेजों के आधार पर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी-एसएफ-202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार नामहस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

EO

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

PRO/R-487
27/5/22

1
24/5/22

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी-1547

दिनांक:- 26/5/2022

विज्ञप्ति

जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या-बी-256, मालवीय नगर जयपुर का आवंटन पत्र श्री राजमल बैराठी पुत्र श्री गुलाब चन्द बैराठी के नाम जारी किया गया था। श्री राजमल बैराठी की मृत्यु दिनांक 03.02.2008 को होना मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। (1) श्रीमती प्रेम बैराठी पत्नी स्व. श्री गुलाब चन्द बैराठी की मृत्यु दिनांक 19.03.2016 को मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। (2) प्रीति बैराठी पुत्री स्व. श्री गुलाब चन्द बैराठी की मृत्यु दिनांक 28.07.2017 को मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। (3) अब श्रीमती सुलोचना जैन पुत्री स्व. श्री राजमल जैन द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र (4) श्री अशोक बैराठी पुत्र स्व. श्री राजमल बैराठी के पक्ष में किया गया है। उपर्युक्त दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी नामहस्तान्तरण पत्र जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी-एसएफ-202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

६०

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

26/5/2022

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

27/5/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 302 004
फोन : 0141-2573150 (0) 0141-2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-3/2022/डी- 424


दिनांक 26/5/2022

विज्ञप्ति/सूचना

कृष्णापुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजना स्कीम नम्बर 5 कृष्णा कॉलोनी के खसरा नम्बर 25-26, 25/489 की जोन 3 जविप्रा द्वारा नियमन की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा समय सीमा पश्चात् भूखण्डधारियों के पक्ष में नियमन/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।


उपायुक्त जोन-3
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।


उपायुक्त जोन-3
जविप्रा, जयपुर।

PPR-489
27/5/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी-1442

दिनांक 27/5/22


सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री विनय यादव पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह यादव द्वारा निजी खातेदारी की आवासीय योजना "हरे कृष्णा विहार-सी विस्तार" के निम्नलिखित भूखण्डों का नाम हस्तानान्तरण करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।


क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. में
1	श्री विनय यादव	एस-27	88.88
2.	श्री विनय यादव	एस-28	88.88
3	श्री विनय यादव	एस-30	88.88

उक्त भूखण्ड संख्या एस-27, एस-28, एस-30 की लीजडीड दिनांक 04.02.2014 को श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री जोगिन्दर सिंह यादव को जारी किया गया है श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री जोगिन्दर सिंह यादव कि मृत्यु दिनांक 26.4.2017 को मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार हो गई है। स्व. श्रीमती सुशीला देवी के वारिसान (1) श्री जोगिन्दर सिंह यादव(पति) (2) श्रीमती शालू यादव पुत्री श्री जोगिन्दर सिंह यादव पत्नी श्री सुरेन्द्र यादव (पुत्री) के द्वारा उक्त भूखण्डों के लिये श्री विनय यादव पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह यादव के पक्ष में पंजीकृत हक त्याग कर दिया गया है।

उक्त भूखण्ड का हस्तानान्तरण प्रार्थी श्री विनय यादव पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह यादव के पक्ष में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किये जाने से किसी भी व्यक्ति/संस्था एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर में प्रस्तुत करें, अन्यथा नियमानुसार नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।


उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा. जयपुर

- प्रतिलिपि:-
- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में जविप्रा, जयपुर के स्तर से करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावे।
 - श्री विनय यादव पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह यादव निवासी-269 गुरु जम्बेश्वर नगर ए, क्वीन्स रोड, वैशाली नगर, को सूचनार्थ प्रेषित है।


उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
ज.वि.प्रा. जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

7
Aesthetics
Amrit Maholav

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी- 3030 दिनांक:- 21.5.2022

-:सूचना:-

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह-खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्षों में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामजी लाल शर्मा (लक्ष्मी नगर गु.नि.स.स.लि. की योजना शिव शक्ति नगर)	51	377.77
2	सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामजी लाल शर्मा (लक्ष्मी नगर गु.नि.स.स.लि. की योजना शिव शक्ति नगर)	50	400.00

VI

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
2. को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र प्रकाशित हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से सम्पर्क कर विज्ञप्ति प्रकाशित करावें।

नोट:- विज्ञप्ति प्रकाशन में कार्यालय का सम्पूर्ण पता तथा विज्ञप्ति आवश्यक रूप से 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जावे। उक्त की पूर्ति नहीं होने पर विज्ञप्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V N



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- 1518

दिनांक 28/6/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती उर्मिला शर्मा पत्नी श्री दिनेश कुमार शर्मा द्वारा भूखण्ड संख्या 6 योजना नेमी नगर विस्तार का फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा मूल दस्तावेज गुम होने के संबंध में गुमशुदगी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी-एसएफ- 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

Sd/-

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

PPD/R-492
27/5/22

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-4170

दिनांक: 26/5/22

लोक सूचना


पीयूष शिक्षा संस्थान, न्यू बाईपास, राधा स्वामी का बाग, चौमू जिला जयपुर जरिये सचिव कैलाश चन्द जाट, ग्राम-खालसावाली (कल्याणपुरा) पो.-मारखी, वाया-अमरसर तहसील-शाहपुरा जिला जयपुर खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का संस्थानिक प्रयोजनार्थ लीजडीड जारी करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-


जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टै.)	खातेदार का नाम	धारा 90ए की कार्यवाही दिनांक
तहसील-चौमू जिला-जयपुर	ग्राम-चौमू	7157/2	0.38	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	02.11.2017

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त भूमि संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किए जाने पर आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26/5/2022 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.स	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग.
1.	श्रीमती पारूल गोयल पत्नी श्री सुनील कुमार गोयल सूरजपोल गेट गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना गोविन्द नगर	30	216.66
2.	श्री राजू लाल शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना श्याम वाटिका	ए-84ए	111.11
3.	श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी स्व. श्री सुरेन्द्र सिंह दी शिवा कॉ आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. योजना 6डी इंजीनियर्स कॉलोनी	एफ-34	416.66
4.	श्री नवल किशोर मोदानी पुत्र श्री गौरी शंकर मोदानी दी फोरेस्ट व्यू हाउसिंग को आपरेटिव सोसायटी लि. योजना धर्म नगर	पुराना 28 नया 20 व 20ए	500.00

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.03.22 के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

उपायुक्त
पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

olc

जन संपर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी- 979

डिनांक - 25/05/2022



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.स	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग.
1.	श्री गजेन्द्र सिंह कछवाहा जरिये प्राकृतिक संरक्षक सुमित कछवाहा पुत्र स्व. श्री ज्योति स्वरूप कछवाहा दी शिवा कॉ आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. योजना 6डी इंजीनियर्स कॉलोनी	एफ-97	600.00
2.	श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री जय कुमार कुमावत बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	49	216.66
3.	श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी श्री सीताराम बुनकर बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना भंवर नगर	29	151.665

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.03.22 के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

उपायुक्त

पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी-

770/27.05.2022

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101864

दिनांक: 27/05/2022

लोक सूचना

महिमा वेयरहाऊसिंग प्रा.लि. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री कपिल रायसिंघानी पुत्र स्व. श्री के.वी. रायसिंघानी रजि. कार्यालय किस्टल पॉम, चतुर्थ तल, 22, गोदाम सर्किल, सहकार मार्ग, जयपुर

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक (वेयर हाऊस) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	सारंगपुरा सांगानेर (जयपुर)	महिमा वेयरहाऊसिंग प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय चतुर्थ तल, किस्टल पॉम, बाईस गौदाम सर्किल, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर।	203	2500	0.25
			208	9900	0.99
			206	3300	0.33
			206 / 794	300	0.03
			207	2600	0.26
			221	10500	1.05
			222	9000	0.90
			223	5000	0.50
			229	5900	0.59
			937 / 161	975	0.0975
			205	1100	0.11
			900 / 172	430	0.0430
			902 / 204	870	0.0870
			कुल		5.2375

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **27-05-2022** को जारी की गयी।



प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101809

दिनांक: 27/05/2022

लोक सूचना

- श्री ANANDI LAL पुत्र श्री HEERA LAL जाति RAIGER निवासी RAIGRO KA MOHALLA DHANKYA JAIPUR
- श्री ASHOK KUMAR BALOTIA पुत्र श्री GOVARDHAN जाति RAIGER निवासी DHANKYA JAIPUR
- श्री BHUPENDRA BALOTIYA पुत्र श्री GOPAL LAL जाति RAIGER निवासी A-25 BAL NAGAR KARTARPURA LAL KOTHI JAIPUR
- श्री DEEPAK VERMA पुत्र श्री NATHU LAL VERMA जाति RAIGER निवासी PLOT NO 12 SHREE RAM NAGAR COLONY SANGANER JAIPUR RAJASTHAN
- श्री HARDEV पुत्र श्री SONA RAM जाति RAIGER निवासी PLOT NO 12 RAMRAJPURA RAKDI SODALA JAIPUR
- श्री HITENDRA BALOTHIYA पुत्र श्री GOPAL LAL जाति RAIGER निवासी A-25 BAL NAGAR KARTARPURA LAL KOTHI JAIPUR
- श्री JAGDISH PRASAD BALOTIYA पुत्र श्री HEERA LAL BALOTIYA जाति RAIGER निवासी 39 RAIGRO KA MOHALLA DHANKYA JAIPUR
- श्री JAGNATH पुत्र श्री SOHAN LAL जाति RAIGER निवासी 12 RAMRAJPURA RAKARI SODALA STATION ROAD JAIPUR
- श्री JOGENDRA KUMAR BALOTIYA पुत्र श्री SHANKAR LAL BALOTIYA जाति RAIGER निवासी RAIGRO KA MOHALLA DHANKYA JAIPUR
- श्री KAMAL KUMAR BALOTIYA पुत्र श्री SHANKAR LAL BALOTIYA जाति RAIGER निवासी 234 RAIGRO KA MOHALLA DHANKYA JAIPUR RAJASTHAN
- श्री MANBHAR DEVI पत्नी श्री NATHU LAL VERMA जाति RAIGER निवासी PLOT NO 12 SHREE RAM NAGAR COLONY SANGANER JAIPUR RAJASTHAN
- श्री MOHANAR BAALOTIYA पुत्र श्री GORDHAN RAGAR जाति RAIGER निवासी RAGRO KA MOHALLA DHANKYA JHOTWARA JAIPUR
- श्री NATHU LAL VERMA पुत्र श्री RAMPAL जाति RAIGER निवासी PLOT NO 12 SHREE RAM NAGAR COLONY SANGANER JAIPUR RAJASTHAN
- श्री NATHU RAM BALOTIA पुत्र श्री GANESH RAM जाति RAIGER निवासी DHANKYA JAIPUR RAJASTHAN
- श्री OM PRAKASH पुत्र श्री SOHAN LAL जाति RAIGER निवासी 12 CHOUDHARY PUBLIC SCHOOL KE SAMNE RAKDI RAMRAJPURA SODALA JAIPUR
- श्री RAMNIWAS BALOTIYA पुत्र श्री GORDHAN LAL जाति RAIGER निवासी RAGRO KA MOHALLA DHANKYA JHOTWARA JAIPUR
- श्री RAMPAL UJENIYA पुत्र श्री UDARAM जाति RAIGER निवासी DHANKYA JAIPUR
- श्री RAMSWROOP पुत्र श्री HIRA LAL जाति RAIGER निवासी 146 RAIGRO KA MOHALLA DHANKYA JAIPUR
- श्री RGHUNATH पुत्र श्री UDA RAM UJJENIYA जाति RAIGER निवासी 52 AZAD NAGAR KACHHI BASTI MEHARON KE MANDIR KE PICHE JAIPUR
- श्री ROYLUX GREENEARTH LLP PARTNER MAHAVEER GURJAR पुत्र श्री S/O GOPI CHAND GURJAR जाति GURJAR निवासी PLOT NO 73 KARNI VIHAR ,JAIPUR


जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

श्री SUGANI DEVI पत्नी श्री GORDHAN RAIGER जाति RAIGER निवासी DHANKYA JAIPUR
 श्री TILAK VERMA पुत्र श्री NATHU LAL VERMA जाति RAIGER निवासी PLOT NO 12 SHREE RAM
 NAGAR COLONY SANGANER JAIPUR RAJASTHAN
 श्री VIDHYA DEVI पत्नी श्री GOPAL LAL जाति RAIGER निवासी A-25 BAL NAGAR KARTARPURA
 LAL KOTHI JAIPUR
 श्री LAXMAN पुत्र श्री UDDA RAM जाति RAIGER निवासी B-36 RAKESH PURI RAKDI SODALA
 JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	मुण्डिया पुरोहितान, जयपुर (जयपुर)	ROYLUX GREENEARTH LLP	231/5	2.78	0.0003
2.	मुण्डिया पुरोहितान, जयपुर (जयपुर)	ROYLUX GREENEARTH LLP	235/4	0.32	0
3.	नन्दगांव, जयपुर (जयपुर)	MANBHARDEVI W/O NATHULAL REGAR	82	0.51	0.0001
4.	मुण्डिया पुरोहितान, जयपुर (जयपुर)	ROYLUX GREENEARTH LLP	236/4	0.48	0
5.	नन्दगांव, जयपुर (जयपुर)	MANBHARDEVI W/O NATHULAL REGAR	95	1.57	0.0002
6.	नन्दगांव, जयपुर (जयपुर)	RUGNATH S/O UDHA, RAMPAL S/O UDHA, LAXMANA S/O UDHA	96	0.67	0.0001
7.	नन्दगांव, जयपुर (जयपुर)	TILAKVERMA S/O NATHULALVERMA, D IPAKVERMA S/O NATHULALVERMA, R UGNATH S/O UDHA, RAMPAL S/O UDHA, LAXMANA S/O UDHA	97	1.93	0.0002
8.	नन्दगांव, जयपुर (जयपुर)	OMPRAKASH S/O SONYA, JAGNANTH S/O SONYA, HARDEV S/O SONYA	97/140	0.52	0.0001
9.	नन्दगांव, जयपुर (जयपुर)	NATHULAL S/O RAMPAL	98/141	0.3	0
10.	नन्दगांव, जयपुर (जयपुर)	NATHURAM S/O GANESH	219/98	0.46	0
11.	नन्दगांव, जयपुर (जयपुर)	ASHOKKUMAR, MAN OHARKUMAR, RAMN IWAS S/O	220/98	0.46	0

सहायक ज्यो-12
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

		GORDHAN,SUGANI DEVI W/O GORDHAN,ANANDIL AL,JAGDISHPRASA D,RAMSWAROOP S/O HEERA,KAMALKUM AR,JOGENDRAKUM AR S/O SHANKARLAL,BHUP ENDRAKUMAR,HITE NDRAKUMAR S/O LATE GOPAL, VIDHADEVI W/O LATE GOPAL				
					कुल	0.001

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **27-05-2022** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

109
दो सांगानेर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड रजि. नं. 60/ एल.
सांगानेर, जयपुर

योजना : स्वामी विहार, ग्राम मुहाना, सांगानेर, जयपुर


आवासीय भूखण्डों की सदस्य सूची

क्र.सं.	प्लॉट संख्या	नाम सदस्यो का नाम व पता
1.	1	गणेश कुमार यादव पुत्र श्री बिरदाराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
2.	2	श्रीमती विमला देवी पत्नी गणेश कुमार यादव जाति अहीर निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
3.	3	हनुमान सहाय यादव पुत्र श्री बिरदाराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
4.	4	श्रीमती गोपाली देवी पत्नी हनुमान सहाय यादव जाति अहीर निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
5.	5	श्रीमती भूली देवी पत्नी श्री गोपाल लाल यादव जाति अहीर निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
6.	6	गोपाल लाल यादव पुत्र श्री बिरदाराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर


उपायुक्त, जयपुर
27/5/22


अध्यक्ष

दो सांगानेर को-ऑपरेटिव हाउसिंग
सोसायटी लि. जयपुर,
रजि. नं.-60/ एल


उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in


यू.ओ. नोट

विषय:- दी सांगानेर को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड रजि. नं. 60/एल सांगानेर, जयपुर की योजना : स्वामी विहार, ग्राम मुहाना, सांगानेर, जयपुर के आवासीय भूखण्डों के सदस्य सूची का प्रकाशन करवाए जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दी सांगानेर को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड रजि. नं. 60/एल सांगानेर, जयपुर की योजना : स्वामी विहार, ग्राम मुहाना, सांगानेर, जयपुर के आवासीय भूखण्डों की उप रजिस्ट्रार सहकारिता जविप्रा, जयपुर से प्रमाणित सदस्य सूची संलग्न कर समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाए जाने हेतु प्रस्तुत है। उक्त सदस्य सूची के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई भी आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि से सात (07) दिवस में कार्यालय उपायुक्त जोन-11 में लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त दिवस पश्चात् नियमन शिविर आयोजित कर दिया जावेगा।

संलग्न:- उप रजिस्ट्रार सहकारिता से प्रमाणित सदस्यता सूची की प्रति।


जविप्रा, जयपुर


उपायुक्त जोन-11
उपायुक्त जयपुर
ज.वि.प्रा., जयपुर

यू.ओ. नोट:-जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी-1448
दिनांक:- 27/5/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-6/22/डी- 1587

दिनांक: 27/5/22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	भू.स. 10क	रामनगर-क (भैरव गृ.नि.स.स.)	श्री चन्द्रमोहन पारीक पुत्र स्व. श्री राधेश्याम पारीक	श्री राधेश्याम पारीक पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय पारीक	सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र, स्थल मानचित्र, रसीद शपथ पत्र व मृतक के वारिसान का हकत्याग पत्र।
2.	भू.स. 6ए-क	रामनगर-क (भैरव गृ.नि.स.स.)	श्रीमती शकुन नरुका पत्नी श्री महेश सिंह नरुका	श्रीमती राजू देवी पत्नी श्री राम प्रसाद शर्मा	सदस्य सूची में नाम अंकित नहीं है।

- ६ -
उपायुक्त जोन-6
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-6
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2570256) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेशन:(7118):

ई-मेल: (rajasthan.gov.in)